न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री दिनेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. – 29/2022/राजस्व वाद दायरा दिनांक 18.02.2022

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. बालचन्द पि. रतनलाल जाति धाकड नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन
2. रामलाल पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन
3. रामसिंह पि. हीरालाल जाति धाकड नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन
4. सेतानबाई पत्नि रामलाल जाति धाकड नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन
5. ललिताबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति गुर्जर नि. जयपुर हाल नि. झालरापाटन

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177–178 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति –

पेरोकार सरकार – तहसीलदार रायपुर

प्रतिवादीगण/खातेदारान – स्वयं

निर्णय दिनांक : 06.12.2024

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर में आराजी खसरा नंबर 2963/2943, 2966/820, 2962/2943 रकबा 1.7291 हैक्टेयर उक्त वर्णित खातेदारों के नाम दर्ज है। सुविधा की दृष्टि से इस आराजी को वादग्रस्त आराजी कहा गया है। यह है कि बाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी को कृषि कार्य करने हेतु दी गयी थी। यह है कि प्रतिवादी ने उक्त आराजी में मुड्डी लगाकर प्लानिंग कर दी है जिससे यह भूमि कृषि के प्रयोजनार्थ नहीं है। यह है कि यह आराजी [illegible] द्वारा कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि शर्ता का [illegible] किया है। यह है कि दिनांक 20.011.2022 को मेरे द्वारा मौका देख जाने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(3)

जानकारी में आया है। यह है कि श्रीमान् को वाद श्रवण अधिकार है। यह है कि राजस्थान सरकार का लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद प्रस्तुत किया गया है। यह है इस वाद में किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। अतः वाद ग्रस्त आराजी को कृषि भूमि की शर्तों की अवहेलना पाये जाने एवं कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने के कारण यह भूमि खाता सरकार सिवायचक दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदारो एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस बाबत खातेदारो द्वारा उपस्थित होकर पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया।

(1) खातेदर दूधालाल पि. मांगीलाल, पूरीलला पि. भेरूलाल, भेरूलाल पि. बापूलाल दांगी नि. रूघनाथपुरा द्वारा स्वयं जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थियान ने ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 2942/2910 रकबा 0.0167 है. भूमि रजिस्टर्ड बैचान पत्र से कय की है। वर्तमान में मौके पर आराजी ख.नं. 2942/2910 में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है भविष्य में उन आराजी में निर्माण कार्य करने से पूर्व भूमि को संपरिर्वतन कराने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। अतः प्रार्थीयान के विरुद्ध 90ए की कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करें।

(2) खातेदार रूकसाना पत्नि मोहम्मद इस्लाम नि. रायपुर द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर में ख.न. 2911/821 रकबा 0.0253 है. भूमि रुकसाना पत्नि मोहम्मद इस्लाम के नाम खाता दर्ज है। उक्त भूमि पर मेने कोई निर्माण कार्य नही करवा रखा उक्त भूमि पर मै कोई भी निर्माण से पहले संपरविर्तन करा कर ही निर्माण करूंगी। श्रीमान से निवेदन है कि मुझे संपरिवर्तन हेतु कुछ समय देने की कृपा करे।

(3) खातेदार रामसिंह नागर द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर– 2966/820 एंव 2962/2943 रकबा 1.7159 हे0 मे हिस्सा 1/4 के संबंध में नोटिस दिया गया है कि मैने [illegible] आवासीय प्लालिनंग की है जो गलत है मैने [illegible] उक्त भूमि [illegible] आवासीय प्लानिंग हेतु उक्त भूमि का आवेदन माननीय उपखण्ड कार्यालय पिडावा मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 24.01.2022 को आवेदन सख्या–एलरी/2021–22/116555 पर आवेदन कर दिया है इसलिए प्रार्थी के विरूध 1956 की धारा 90 ए की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने आवासीय प्लानिग के लिए उक्त भूमि कनर्वजन करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सूचना श्री मान की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(4) खातेदार बालचन्द द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर– 2966/820 एंव 2962/2943 रकबा 1.7159 हे0 मे हिस्सा 1/4 के संबंध में नोटिस दिया गया है कि मैने कृषि भूमि आवासीय प्लानिंग की है जो गलत है मैंने मेरे हिस्से उक्त भूमि पर आवासीय प्लानिंग हेतु उक्त भूमि का आवेदन माननीय उपखण्ड कार्यालय पिडावा मे दिनांक 24.01.2022 को आवेदन सख्या–एलसी/2021–22/116555 पर आवेदन कर दिया है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध 1956 की घारा 90 ए की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने आवासीय प्लानिग के लिए उक्त भूमि कर्वजन करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सूचना श्री मान की सेवा मे सादर प्रेषित है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूमि पूर्वक गौर फरमावे।

(5) खातेदार रामलाल पि. कंवरलाल गुर्जर द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर– 2966/820 एंव 2962/2943 रकबा 1. 7159 हे0 में हिस्सा 1/4 के संबंध में नोटिस दिया गया है कि मैने कृषि भूमि आवासीय प्लालिनंग की है जो गलत है मैने मेरे हिस्से उक्त भूमि पर आवासीय प्लानिंग हेतु उक्त भूमि का आवेदन माननीय उपखण्ड कार्यालय पिडावा मे दिनांक 24.01.2022 को आवेदन सख्या–एलसी/2021–22/116555 पर आवेदन कर दिया है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध 1956 की घारा 90 ए की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने आवासीय प्लानिग के लिए उक्त भूमि कर्वजन करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सूचना श्री मान की सेवा मे सादर प्रेषित है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूमि पूर्वक गौर फरमावे।

(6) खातेदार सेतानबाई द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख. नं. 2962/2943 रकबा 1.7159 हे0 में हिस्सा 1/4 के संबंध में नोटिस दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

गया है कि मैंने कृषि भूमि आवारीय प्लानिंग की है जो गलत है मैने मेरे हिस्से उक्त भूमि पर आवारीय प्लानिंग हेतु उक्त भूमि का आवेदन माननीय उपखण्ड कार्यालय पिडावा मे दिनांक 24.01.2022 को आवेदन सख्या–एलसी/2021–22/116555 पर आवेदन कर दिया है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध 1956 की धारा 90 ए की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने आवारीय प्लानिग के लिए उक्त भूमि कर्वजन करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सूचना श्री मान की सेवा मे सादर प्रेषित है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूमि पूर्वक गौर फरमावे।

(7) खातेदार ललिताबाई पि. कन्हैयालाल द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी खत्तरा नम्बर– 2963/2943, रकबा 0.0632 हे0 के संबंध में नोटिस दिया गया है कि जिसमे मैने मेरे हिस्से की उक्त भूमि पर घरेलू आवासीय उपयोग हेतु उक्त भूमि का आवेदन हेतु मैपिंग कर दी है और जल्द ही माननीय उपखण्ड कार्यालय पिडावा मे आवेदन प्रस्तुत कर जावेगा इसलिए प्रार्थी के विरूध 1956 की धारा 90 ए की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने घरेलू आवासीय उपयोग हेतु प्लानिग मैप बना लिया है और जल्द ही आवेदन प्रस्तुत कर देगे इस हेतु सूचना श्री मान की सेवा मे सादर प्रेषित है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूमि पूर्वक गौर फरमावे।

(8) खातेदार सेतानबाई, रामलाल, बालचन्द, रामसिंह द्वारा दिनांक 04.05.2022 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि निवेदन है कि ग्राम रायपुर की आराजी खसरा नं. 2983/2962, 2966/820, के सम्बन्ध में तहसीलदार रायपुर द्वारा उक्त उनवान की कार्यवाही की है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर आबादी में सम्परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे में धारा 177.178 एल०आर०एक्ट की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय न्यायायल में चल रहे उक्त प्रकरण को खारिज किया जावें। कन्वर्जन आदेश व माननीय न्यायालय का नोटिस क्रमांक सम्परिवर्तन/2022/518–21 दिनांक 25.04.2022 व नक्शा रेकार्ड ज[illegible] साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. वाद पत्र के समर्थन में पेरोकार सरकार द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट, जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1083, 224, 1063, 1043, 1086, 1024 की नकले एवं खसरा गिरदावरी की नकले, नक्शा ट्रेस संलग्न की।

4. प्रतिवादीगण/खातेदारान अपने जवाब के समर्थन में भूमि संपरिवर्तन के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत संपरवर्तिन आवेदन/आदेश, भूमि का प्लानिग नक्शा, जमाबंदी की नकले एवं नक्शा खसरा की नकले, संपरविर्तन नामान्तरण सं. 3863 दिनांक 13.05.2022 की नकल आदि पेश की।

5. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख. नं. 2983/2962, 2966/820 व 2963/2943 की भूमि उपखण्ड अधिकारी पिडावा के संपरविर्तन आदेश क्र. एलसी/2021–22/116555 दिनांक 25.04. 2022 से आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ संपरविर्तित होकर नामा.सं. 3863 दिनांक 13.05.2022 दर्ज हो चुका है। वादग्रस्त आराजी की किस्म कृषि भूमि न होकर आवासीय है। **अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते है। आबादी भूमि पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है।** संपरविर्तन कराने से पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा अपने खाते की कृषि आराजी का अनतर्गत धारा 65–70 आर.टी.एक्ट कुछ भू सुधार कार्य कराये थे जिनकी कुछ भू. माफियों द्वारा राजस्व विभाग को गलत शिकायत की गई और ऐसी गेर कानूनी शिकायत के तथ्यों की जांच किये बिना भू. धारक द्वारा यह वाद न्यायालय मे पेश किया गया था जो खारीज योग्य है। आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा जिला कलक्टर झालावाड को भेजे गई वस्तु स्थिति रिपोर्ट कमांक राजस्व/2022/1037 दिनांक 17.08.2022 के बिन्दू सं. 5 में स्वयं **वादी/भूमि धारक/तहसीदार द्वारा स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त** आराजी ख.नं. 2967/820, 2942/2910 व 2911/821 मौके पर पडत है जिसमें किसी प्रकार का प्लाटिंग, निर्माण कार्य अथवा ग्रेवल कार्य नहीं किया हुआ है। खातेदारानो द्वारा वादग्रस्त आराजी में से ख.नं. [illegible]83 रकबा 0.8472 है., ख.नं. 2986/2966 रकबा 0.1518 है. आवासीय [illegible] हेतु आवेदन किया हुआ है। ख.नं. 2982/2962 रकबा 0.2655 है. भूमि की मांग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार में समर्पण हेतु एवं ख.नं. 2963/2943 आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ आवेदन किया हुआ है। शेष बची भूमि ख.नं. 2967/820 रकबा 0.2529 है., ख.नं. 2942/2910 रकबा 0.0167 है., ख.नं. 2911/821 रकबा 0.0253 है. व ख.नं. 2989/2983 रकबा 0.4261 है. भूमि मौके पर पडत पडी हुई है जिसमें किसी प्रकार का निर्माण, प्लाटिंग या ग्रेवल कार्य नहीं किया हुआ है। जब भूमि धारक तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है, कि वादग्रस्त आराजी पर कोई गैर कृषि कार्य या निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तो साबित है कि भू धारक द्वारा धारा 177–178 का दावा विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए न्यायालय में पेश किया जो मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

6. भू धारक तहसीलदार द्वारा बहस के दोरान कथन किया गया कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में गे.मु.आबादी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। खातेदारान द्वारा वर्ष 2022 में वादग्रस्त आराजी का आवासीय इकाई एवं आवासीय कालोनी प्रयाजनार्थ भूमि संपरिवर्तन करा लिया था। खातेदारान के विरूद्ध वर्ष 2011 में वादग्रस्त कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने के बाद यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। वाद पेश करने के बाद मौका निरीक्षण के दौरान वादग्रस्त आराजी मौके पर पडत पायी गयी थी। कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया था जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 को माननीय न्यायालय में पेश कर दी गई थी। यह सही है कि वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है।

7. उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम रायपुर की हाल जमाबंदी सं. 2073–76 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2982/2962 रकबा 0.2655 है. किस्म गे.मु. रास्ता, ख.नं. 2986/2966 रकबा 0.1518 है. किस्म गे.मु.आबादी व ख.नं. 2988/2983 रकबा 0.8472 है. किस्म गे.मु.आबादी प्रतिवादीगण बालचन्द, रामलाल, रामसिंह व सेतानबाई के खाते में दर्ज है। इसी प्रकार ख.नं. 3024/2963 रकबा 0.0253 है. किस्म गे.मु.आबादी प्रतिवादी सेतानबाई के खाते दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश व संलग्न आदेश कमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

एलसी/2021–22/116555 दिनांक 25.04.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2983/2962 रकबा 1.2645 है. में से 0.8472 है. एवं ख.नं. 2966/820 रकबा 0.1771 में से 0.1518 है. भूमि आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा पेश संपरिवर्तन आवेदन दिनांक 14.02.2022 एवं संपरिवर्तन आदेश कमांक एलसी/2021–22/118113 दिनांक 30.09.2022 के अनुसार ख.नं. 3024/2963 रकबा 254 वर्ग मीटर आवासीय इकाई हेतु संपरिवर्तित हो चुका है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान केवल कृषि भूमि एवं राजकीय भमि पर ही लागू होते है, आबादी भूमि पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। राजस्व न्यायालय को धारा 5(35) आर.टी.एक्ट में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

(35) ***"Revenue Court"*** shall mean a court or an officer having jurisdiction to entertain suits or other proceedings relating to **agricultural** tenancies, profits and other matters, connected with land or any right or interest in land, wherein such court or officer is required to act judicially; it shall include the Board and every member thereof, a revenue appellate authority, a Collector, a Sub-Divisional Officer, an Assistant Collector, a Tehsildar or any other revenue officer while so acting.

8. भूमि धारक द्वारा द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 177–178 आर.टी.एक्ट में दिनांक 20.01.2022 को मौका देखने पर वादग्रस्त आराजी पर कच्ची एप्रोच रोड, सीमा निर्धारण का विद्युत पोल व ग्रेवल से प्लाटिंग कर राजस्व हानि करने का अंकन कर यह दावा पेश किया गया लंकिन भू.धारक द्वारा इस न्यायालय में पेश वस्तु स्थिति रिपोर्ट पत्रांक 687/राजस्व/2022 दिनांक 31.05.2022 में स्वयं स्वीकार किया है कि ग्रा[illegible] के आराजी ख. नं. 820 भूमि 0.4300 हैक्ट. के विभाजित हुए समस्त ख[illegible]नंबरान का नायब तहसीलदार रायपुर, भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर, पटवारी हलका

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रायपुर द्वारा संबंधित खातेदारान एवं उपस्थित अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका देखा गया। वस्तुस्थिति इस प्रकार है – ग्राम रायपुर की आराजी खसरा सं. 2988/2983 रकबा 0.8472 हैक्टे., 2986/2966 रकबा 0.1518 हैक्टे, भूमि के खातेदार बालचन्द पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4 जाति धाकड, रामलाल पिता कंवरलाल हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर, रामसिंह पुत्र हीरालाल जाति धाकड हिस्सा 1/4 शैतानबाई पत्नि रामलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 द्वारा मौके पर प्लाटिंग कर मुड्डियां गाड रखी हैं एवं उक्त आराजी को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 25.04.2022 से आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की हुई है जिसका नामांतरण दर्ज रिकार्ड हो चुका है। इसी प्रकार उक्त रूपांतरित आराजी के पहुंच मार्ग हेतु ख.नं. 2982/2962 रकबा 0. 2655 हैक्टे. भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज हो चुकी है। ग्राम रायपुर की आराजी खसरा संख्या 2963/2943 रकबा 0.0632 हैक्टे. भूमि खातेदार ललिताबाई द्वारा आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने हेतु श्रीमान तहसीलदार रायपुर के कार्यालय में आवेदन किया हुआ है, जो विचाराधीन चल रहा है। अन्य बची हुई खसरा सं. 2967/820 खातेदार सुशीलाबाई पत्नि धन्नालाल जाति सुथार रकबा 0.2529 हैक्टे. खसरा नं. 2942/2910 रकबा 0.0167 खातेदार दूधालाल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/3 जाति दांगी, पूरीलाल पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/3 जाति दांगी, भैरूलाल पुत्र बापूलाल हिस्सा 1/3 जाति दांगी ग्राम रघुनाथपुरा एवं खसरा सं 2911/821 रकबा 0.0253 हैक्टे. खातदार रुकसाना पत्नि इस्माईल जाति मुसलमान निवासी रायपुर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जो मौके पर पडत है। उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य/प्लाटिंग कार्य नहीं किया हुआ है एव ना ही ग्रेबल डाली हुई है। मौके पर संबंधित खातेदारों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है एवं उक्त आराजी कृषि उपयोग में आयेगी। खसरा नं. 2989/2983 रकबा 0.4261 हैक्टे. भूमि झालावाड–इन्दौर रोड से पीछे की ओर स्थित है। यह भूमि रूपान्तरित भूमि से पीछे की ओर स्थित है जो कि मुताबिक खातेदार कृ[illegible] के उपयोग में ही आवेगी। वर्तमान में यह भूमि पडत है एवं इस पर किसी प्रकार की प्लाटिंग एवं मुड्डियां नहीं गढ़ी हुई हैं। इस प्रकार संक्षेप में तथ्य यह है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उक्त समस्त विवादित भूमि में जिस भूमि पर प्लाटिंग, मुड्डियां गडी हुई हैं व ग्रेबल डली हुई है। उस भूमि को आवेदक द्वारा रूपान्तरित करवा दिया है। शेष जो भूमि बची हुई है उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य, प्लाटिंग, मुड्डियां नहीं की हुई हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पडत पडी हुई है मौके पर उक्त खातेदारान को सख्त हिदायत देकर पाबंद किया है कि उक्त भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये कृषि कार्य के अलावा अन्य उपयोग नहीं करे। स्वयं भूमि धारक ने मौके पर भूमि के पडत होने और किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य यानि प्लाटिंग व निर्माण कार्य आदि नहीं होना स्वीकार किया है। जब खातेदारान प्रतिवादीगण द्वारा काश्तकारी शर्तो के विरूद्ध व हानिकारक कोई कार्य किया ही नहीं है तो फिर धारा 177 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू कैसे होगे। खातेदारन प्रतिवादीगण ने अन्तर्गत धारा 65–70 आर.टी.एक्ट कुछ भूमि सुधार कार्य किया जाना माना है। धारा 177 आर.टी.एक्ट के प्रावधानो का अवलोकन निम्नानुसार है – **177. Ejectment for detrimental act or breach of condition**— (1) A tenant shall on the application of the landholder, be liable to ejectment from his holding—(a) on the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding or inconsistent with the purpose for which it was let, or (b) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contrary to the provisions of this Act, liable to be ejected:

Provided that the planting of trees or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act shall not constitute a ground for ejectment under this section.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की आराजी खसरा नंबर 2963/2943, 2966/820, 2962/2943 रकबा 1.7291 हैक्टेयर आराजी के संबंध में अन्तर्गत धारा 177–178 आर.टी.एक्ट न्यायहित में खारिज किये जाने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(13)

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की आराजी खसरा नंबर 2963/2943, 2966/820, 2962/2943 रकबा 1.7291 हैक्टेयर आराजी के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 177—178 आर.टी.एक्ट का खारीज किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/12/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner